न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–185/2021 दायर दिनांकः 13.12.2021
GCMS NO:- 2021/348 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

नाथूलाल आ0 लोडक्या जाति धोबी नि0 देई तहसील नैनवॉ।

– प्रार्थी

बनाम

अनोख पुत्री मांग्या जाति मीना नि0 देई तहसील नैनवॉ वगैरह। (कुल 27)

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजेन्द्र सिंह नरूका।

निर्णय दिनांक 27.05.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम देई तहसील नैनवॉ मे खसरा नम्बर 1607, 1608, 1610, 1792, 1794 कुल किता 5 कुल रकबा 1.5695 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/15 निहित है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर कृषि काश्त कर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।

प्रार्थी अपने हिस्सेदारी की उक्त खातेदारी की भूमि पर मेन रास्ते से होता हुआ खसरा नम्बर 1601 मे होकर प्रार्थी व अपने रिश्तेदारान की भूमि खसरा नम्बर 1608 की मेर पर होकर खसरा नम्बर 1794 पर अपने हिस्से की भूमि पर पहुंचता है तथा इसी रास्ते पर होकर प्रार्थी अपने कृषि यंत्रों को बदस्तुर अपनी उक्त भूमि पर लाता व ले जाता व लगातार उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोत करते चला आ रहा है जिसको नक्शा परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। दिनांक 20.11.2021 को प्रार्थी ट्रेक्टर लेकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे अपने हिस्से 1/15 की भूमि को हांकने के लिए उक्त रास्ते से होकर जा रहा था तभी प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 11 ट्रेक्टर के आडे फिर गये और कहने लगे कि अब हम तुम्हे यहां होकर नही निकलने देंगे तो प्रार्थी ने कहा कि मै तो शुरू से ही यहां होकर निकल रहा हूं तो प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 11 कहने लगे कि यह सरकारी रास्ता नही है अब हम यहां से तुम्हे नही निकलने देंगे। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। हमने प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी द्वारा जिस खसरा नम्बर 1794 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ